

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, भदोही-ज्ञानपुर।

अधिसूचना

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक संख्या-6221/Admin' G-I/2019, Allahabad dated 14.05.2019 व उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-102/सात-न्याय-2-2015-728/86 दिनांकित 18 जून 2015 के अधीन परिवार न्यायालय, भदोही-ज्ञानपुर में परामर्शदाता की आवृत्ता के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रक्रिया के अधीन कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1904 के अधीन आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं-

- (1) आई व्यक्तियों से आवेदन-पत्र राज्य सरकार आमंत्रित करेगी।
- (2) यह प्रयास किया जायेगा कि व्यक्ति उसी जिले से सम्बन्धित हो जहाँ पर पारिवारिक न्यायालय स्थित हो। यदि इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तो उस दशा में दूसरे जिले के लोगों को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करने में कोई बाधा नहीं है।
- (3) शैक्षिक आर्हता हेतु यह ध्यान रखा जायेगा कि आई व्यक्ति समाजशास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री रखता हो और उसे समाज सेवा का अनुभव हो। इस हेतु विज्ञापन में इस बात का उल्लेख हो कि जो व्यक्ति सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री धारक है और पारिवारिक काउन्सिलिंग में जिन्हें 02 वर्ष का अनुभव है, उन्हें वरीयता दी जायेगी।
- (4) विज्ञापन के समय परामर्शदाता की आयु 35 वर्ष से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- (5) आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा इसकी स्कूटनी की जायेगी और यथासम्भव एक पद के सापेक्ष 05 लोगों की सूची तैयार की जायेगी।
- (6) राज्य सरकार से आई परामर्शदाताओं की सूची प्राप्त होने पर माननीय उच्च न्यायालय, परिवार एवं बाल विकास से सम्बन्धित योग्य विशेषज्ञ से विचार करने के उपरान्त उनके नाम की संस्तुति राज्य सरकार से करेगा।
- (7) परामर्शदाता पद हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रेषित नामों के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय प्रत्येक नामों पर विचार करेगी। राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर अधिसूचना जारी करेगी।
- (8) परामर्शदाता का कार्यकाल प्रारम्भ में 03 वर्ष का होगा। माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर 03 वर्ष के लिए उनके नाम पर पुर्नविचार किया जा सकता है।
- (9) परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जायेगी और वे न्यायालय में संविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेंगे।

2- उक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत परामर्शदाता के आवृत्ता हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन-पत्र स्वप्रमाणित फोटो सहित दिनांक 29.05.2019 तक प्रशासनिक कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें।

दिनांक-18.05.2019 ई0


जनपद न्यायाधीश,
भदोही-ज्ञानपुर।

प्रतिलिपि-

- 1-जनपद न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 2-जनहित में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रमुख समाचारपत्रों में।

नोट- इसकी प्रति माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के वेबसाईट पर भी डाली जाए।
कार्यालय जनपद न्यायाधीश, भदोही-ज्ञानपुर।